कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

दिनांक : 31/7/22

क्रमांक : राजस्व बी / 2022 /1565

निमित्त :–

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय
उदयपुर

विषय :– स्टेट हाईवे 32–ए में झामेश्वरजी से जगत तक सड़क चौडाईकरण हेतु 6.7500 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति ऐच एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध मे।

प्रसंग :– श्रीमान का पत्र क्रमां प.39 / 1( )गै.व.प्र. / 2022 / 2346 दिनांक 29.7.2022

Rev
3117
1/8/22

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि स्टेट हाईवे 32–ए में झामेश्वरजी से जगत तक सड़क चौडाईकरण हेतु 6.7500 हैक्टर भूमि की क्षतिपुति हेतु प्रस्ताव तहसीलदार कुराबड़ से प्राप्त किये गये। तहसीलदार कुराबड़ के प्रस्ताव अनुसार स्टेट हाईवे 32–ए झामेश्वरजी से जगत तक सड़क के अन्तर्गत आने वाली वन विभाग की भूमि रकबा 6.7500 हैक्टर की क्षतिपुर्ति हेतु राजस्व ग्राम मामादेव में बिलानाम भूमि का मौका निरक्षण किया गय। राजस्व रिकार्ड में मामादेव की आ.नं. 1217 रकबा 40.8740 हैक्टर किस्म मगरी बिलानाम गैरकाबिल काश्त दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उक्त भूमि पड़त होकर वन विभाग कि भूमि से लगती हई है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। ग्राम मामादेव की आ.नं. 1217 रकबा 40.8740 हैक्टर भूमि में से रकबा 6.7500 हैक्टर भूमि बिलानाम से वन विभाग को हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

अतः तहसीलदार कुराबड़ से प्राप्त मूल ही प्रस्ताव, मय पर्चा मौका, जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस श्रीमान की सेवा में प्रषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा–उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner